न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—140/2017/223 (2017/00140)

1. मिश्री पुत्र स्व0 देवा,
2. प्रहलाद पुत्र स्व0 देवा,
3. मगना पुत्र स्व0 देवा,
4. लक्ष्मण पुत्र स्व0 देवा,
5. श्रीमती मानी पत्नि स्व0 देवा,
6. शांति बेवा स्व0 बुधाराम,
7. सुनीता पुत्री स्व0 बुधाराम नाबालिग जरिये सरंक्षक माता शांति बेवा बुधाराम ।
8. राधा पुत्री स्व0 बुधाराम, नाबालिग जरिये सरंक्षक माता शांति बेवा बुधाराम

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सरगांव, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

अपीलांटस

बनाम

1. पो0 भराई ग्राम पंचायत गुजरान समाज जरिये सर्वश्रीः—
   1— बुद्धराम पुत्र स्व0 पांचूराम,
   2— लक्ष्मण पुत्र स्व0 पांचूराम (फौत) जरिये वारिसानः—
   1/2/1— नौसर पत्नि लक्ष्मण,
   1/2/2— सत्तू पुत्र लक्ष्मण,
   1/2/3— माया पुत्री लक्ष्मण,
   1/2/4— सोनू पुत्री लक्ष्मण नाबालिग जरिये माता नौसर,
   जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सरगांव, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
   1/2/5— सन्नू पत्नि सोपाल पुत्री लक्ष्मण, जाति गुर्जर, निवासी उडास तहसील पीसांगन, पोस्ट करनोस, जिला अजमेर ।
   1/2/6— गीता पत्नि पूना पुत्री लक्ष्मण, जाति गुर्जर, निवासी पीपलाज, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
   1/2/7— रेखा पत्नि लाला पुत्री लक्ष्मण, जाति गुर्जर, निवासी अम्बिका ज्वैलर्स गणपति ऑटो सर्विस सेंटर, मसूदा रोड़, ब्यावर, जिला अजमेर।
   3— सीताराम पुत्र स्व0 भंवरलाल,
   4— बुधाराम पुत्र स्व0 भंवरलाल,
   5— रंगलाल पुत्र स्व0 भंवरलाल,
   जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सरगांव, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।
3. तहसीलदार, ब्यावर ।
4. उप पंजीयक, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड, ब्यावर दिनांक 29.5.2017 अंतर्गत वाद संख्या 150/2008.

उपस्थितः—

1. श्री बकुल कुमार, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1/3 से 1/5.
3. रेस्पो0 संख्या 1/2/1 से 1/2/5 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 से 4.

निर्णय

दिनांकः— 31.8.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि वादपत्र में वर्णित आराजियात वाके ग्राम सरगांव, तहसील ब्यावर स्थित आराजी खसरा नंबर 1093 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 1096 रकबा 2 बीघा, खसरा नंबर 1105 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 1106 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 1107 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 1108 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा अवस्थित है । उक्त आराजियात वादीगण के पिता स्व0 गमीरा पुत्र इन्द्रा की खातेदारी जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 में चली आ रही है तत्पश्चात् स्व0 गमीरा की मृत्यु के बाद संवत् 2020 से 2023 में उक्त आराजियात को जरिये हिन्दू उत्तराधिकार के तहत वादीगण के पिता एवं पति स्व0 देवा एवं उसके भाई मेवा की निरन्तर खातेदारी मे चली आ रही थी । उक्त भूमियां निरन्तर जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 तक यानि भू–संशोधन के पूर्व तक वादीगण के पिता एवं पति स्व0 देवा एवं उनके चाचा/चाचा ससुर स्व0 मेवा के नाम आधे–आधे हिस्से में दर्ज चली आ रही है । वादीगण के पिता की 20 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है एवं वादीगण के चाचा मेवा की मृत्यु हो जोन के कारण स्व0 मेवा पुत्र गमीरा एक मात्र वारिस होने के कारण खातेदारी अधिकार उन्हें निहित हो चुके है एवं उनके पश्चात् वादीगण काश्त करते चले आ रहे है किन्तु भू–संशोधन के दौरान राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर बिना अधिकार के उक्त भूमियां वर्किंग जमाबंदी कायम किए जाते समय का अंकन राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गई । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.5.2017 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प के तहत केवल उन्हीं प्रकरणों में निर्णय पारित हो सकता है जिनमें पक्षकारान की सहमति हो एवं जिन प्रकरणों में पक्षकारान सहमत नही हो उसमें राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है एवं अपीलांटस/वादीगण का प्रकरण ना तो बहस हेतु पूर्ण था इसके उपरांत भी अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रिया के विपरीत बिना अपीलांटस की सहमति के वाद में दिनांक 29.5.2017 को निर्णय पारित कर वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने यह कहते हुए कि उक्त वादग्रस्त आराजियात बाबत् रेफरेंस प्रकरण जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा माननीय राजस्व मण्डल को प्रतिप्रेषित किया गया है और अपीलांटस को उच्च न्यायालयों में पक्ष रखने का आदेश देते हुए वाद खारिज कर दिया जबकि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 25.10.2019 को उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपीलांटस को उक्त वादग्रस्त आराजियात में हितबद्ध पक्षकार व काबिज काश्त माना है एवं उपरोक्त वाद अपीलांटस द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों बाबत् प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपीलांटस के पूर्वजों के नाम भू–संशोधन विभाग द्वारा गलत रूप से हटा दिया गया था जिस बाबत् विनिश्चयन मूल वाद में ही संभव है । अपीलांटस उपरोक्त रेफरेंस की कार्यवाही में पक्षकार नहीं है । अधी0न्याया0 ने लोक अदालत के तहत गलत रूप से बिना अपीलांटस की बहस के अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण का वाद बहस हेतु पूर्ण नहीं था एव ना ही अपीलांटस द्वारा किसी प्रकार की कोई सहमति दी गई । खातेदारी अधिकारों बाबत् प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को ही था । पूर्व में प्रस्तुत किये गये वाद को विपक्षीगण द्वारा विड्रो किया गया जिसमें भी अपीलांट का ही कब्जा माना गया है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना वाद को लोक अदालत में खारिज किया है जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का हनन हुआ है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि किसी भी व्यक्ति को अपने वाद को साबित करने का पूर्ण अवसर दिये बिना न्याय से वचित नहीं किया जा सकता है इसलिये अपीलांट अपीलांटस स्वीकार की जावे । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा प्रकरण पुनः अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जावे कि विधिक प्रावधानों के तहत अपीलांटस को साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करे।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/5 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात पो0 भराई की सार्वजनिक हित की आराजी है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित आराजियात को ग्राम पंचायत गुजरान सरगांव के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किये जाने पर जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 1.9.2015 को आदेश पारित कर ग्राम सरगांव तहसील ब्यावर की विवादित आराजी सिवायचक हित की सार्वजनिक हित की भूमि को गैर कानूनी रूप से अन्य को विक्रय किया जाना माना है । इसी कारण बेचान से हुए हुए नामांतकरण को निरस्त करते हुए भूमि पुनः सार्वजनिक हित प्रयोजनार्थ सिवायचक दर्ज करने के आदेश हेतु रेफरंस प्रकरण अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है । बहस में आगे कथन किया कि वादीगण ने सेटलमेंट के दौरान इंद्राज परिवर्तन होने का कथन किया है किन्तु सेटलमेंट से पूर्व उक्त भूमियां उनकी खातेदारी में रहने संबंधी कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किये है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादीगण का वाद खारिज किया है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 19.12.2012 को अदम तकमील में खारिज किया गया था । उक्त दिनांक तक प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था तत्पश्चात् दिनांक 19.3.2013 को प्रकरण पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये गये तत्पश्चात् विपक्षीगण/प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये किन्तु उनके द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष ना तो जवाब प्रस्तुत किया गया एव ना ही उपस्थित दी गई । तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 21.3.2017 को वादी साक्ष्य में नियत की गई जिस पर अपीलांटस/वादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के

समक्ष दिनांक 18.4.2017 को वादी संख्या 2 प्रहलाद ने शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 जा0दी0 पेश किया तथा वादी गवाहान के शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निवेदन किया । तत्पश्चात् दिनांक 25.4.2017 को वादी ने स्वतंत्र गवाह सोराम पुत्र गिरधारी व रामदेव पुत्र हेमा के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये । दिनांक 1.5.2017 को अधी0नया0 ने पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.6.2017 नियत की किन्तु आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.6.2017 से पूर्व ही दिनांक 18.5.2017 को पत्रावली को न्यायालय में रखकर वाद पत्रावली को दिनांक 26.5.2017 को राजस्व लोक अदालत में रखे जाने के आदेश पारित किये है । अधी0न्याया0 द्वारा वाद पत्रावली को नियत दिनांक 8.6.2017 से पूर्व दिनांक 18.5.2017 को रखे जाने तथा पत्रावली को कैम्प कोर्ट दिनांक 26.5.2017 में रखने के संबंध में अपीलांटस/वादीगण को नोटिस/सूचना दिये जाने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस को सूचित किये बिना पत्रावली को राजस्व कैम्प कोर्ट अदालत में नियत कर वाद खारिज किया गया है जबकि वाद वादीगण की साक्ष्य में विचाराधीन था । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस/वादीगण को अपने वाद को साबित करने का संपूर्ण अवसर प्रदान नहीं कर प्रकरण को राजस्व लोक अदालत रखकर विधिक प्रकिया के विपरीत वाद खारिज किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.5.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 31.8.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर